पत्र संख्या : 7वि॰शा॰/स्थापना–व्यय–15 –08/2021 ज॰सं॰ 243

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 01/02/22

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 के मांग संख्या– 50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2702– लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल, लघु शीर्ष–005 अन्वेषण, उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट मुख्य शीर्ष **2702– लघु सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु॰ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702–लघु सिंचाई	02– भू–जल	005–अन्वेषण/ 01–सर्वेक्षण एवं जॉच	**188.542**

कुल आवंटित राशि – रूपये एक करोड़ अठासी लाख चौवन हजार दो सौ मात्र।

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट उपबंध रू॰ 11293.27 लाख **(एक सौ बारह करोड़ तिरानबे लाख सताईस हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003,एवं 1681(वि॰) दि॰ 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

6. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आबंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरूद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/ Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

01/02/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 243 रॉची, दिनांक :– 01/02/22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/लोहरदग्गा/गोड्डा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सराय केला/ देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/साहेबगंज/कोडरमा सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

01/02/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 243 रॉची, दिनांक :– 01/02/22

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

01/02/22

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या–50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–2702–लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल
लघु शीर्ष–005 अन्वेषण/उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच

परिशिष्ट I

पत्रांक 243 दिनांक 01/2/22 का अनुलग्नक

राशि लाख रूपये में

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें		विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–	कुल योग	अभियुक्ति
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार		
			50S2702020050 1000101	50S270202005 01000112	50S2702020050 1000213	50S2702020050 1000315	50S270202005 01000316	50S27020200 501000323	50S27020200 501000333	50S270202005 01000334	50S270202005 01000337	50S270202005 01000442	50S270202005 01000760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	पूर्व का आवंटन	55.000	0.000	0.400	0.750	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.800	0.000	57.650	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.350	
		कुल आवंटन	55.000	0.000	0.400	0.900	0.000	0.500	0.400	0.000	0.000	0.800	0.000	58.000	
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, रॉची	पूर्व का आवंटन	198.552	0.000	0.400	0.900	0.000	0.300	0.200	0.000	0.000	1.200	0.300	201.852	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.720	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	1.570	
		कुल आवंटन	198.552	0.000	1.120	1.250	0.000	0.300	0.200	0.000	0.000	1.700	0.300	203.422	
3	लघु सिचाई अंचल–चाईबासा	पूर्व का आवंटन	36.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	1.000	0.100	38.000	
		अतिरिक्त आवंटन	13.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	13.460	
		कुल आवंटन	49.260	0.000	0.300	0.300	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	1.200	0.100	51.460	
4	लघु सिचाई अंचल, दुमका	पूर्व का आवंटन	120.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	121.350	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200	
		कुल आवंटन	120.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.150	0.200	0.000	0.600	0.000	121.550	
5	लघु सिंचाई अंचल, देवघर	पूर्व का आवंटन	38.750	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.800	0.000	40.300	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.400	
		कुल आवंटन	38.750	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1.200	0.000	40.700	
6	लघु सिचाई अंचल–मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	80.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	81.350	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.300	0.000	0.400	
		कुल आवंटन	80.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.150	0.100	0.000	0.900	0.000	81.750	
7	लघु सिचाई अंचल–रॉची	पूर्व का आवंटन	160.000	0.000	0.300	0.500	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.600	0.100	161.750	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.600	0.000	1.100	
		कुल आवंटन	160.000	0.000	0.300	0.800	0.000	0.000	0.250	0.200	0.000	1.200	0.100	162.850	
8	लघु सिंचाई अंचल–हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	77.000	0.250	0.900	0.600	0.150	0.300	0.150	0.000	0.000	1.100	0.150	80.600	
		अतिरिक्त आवंटन	8.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.075	0.000	0.200	0.000	8.375	
		कुल आवंटन	85.000	0.250	1.000	0.600	0.150	0.300	0.150	0.075	0.000	1.300	0.150	88.975	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

01/02/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

राशि लाख रूपये में

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021–2022 कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें: वेतन 50S27020200501000101	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें: एल0टी0सी0 50S27020200501000112	विस्तृत शीर्ष–02– देशीय यात्रा व्यय 50S27020200501000213	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय: कार्यालय व्यय 50S27020200501000315	किराया, दर, कर 50S27020200501000316	आपूर्ति एवं सामग्री 50S27020200501000323	दूरभाष 50S27020200501000333	वर्दी 50S27020200501000334	विद्युत व्यय 50S27020200501000337	विस्तृत शीर्ष–04– मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 50S27020200501000442	विस्तृत शीर्ष–07– विधि प्रभार 50S27020200501000760	कुल योग	अभियुक्ति
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3												30.900	
9	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल,दुमका	पूर्व का आवंटन	30.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.275	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.075	0.000	0.200	0.000	31.175	
		कुल आवंटन	30.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.075	0.000	0.700	0.000	241.100	
10	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल–रॉंची	पूर्व का आवंटन	239.000	0.100	0.250	0.450	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.800	0.100	0.150	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	241.250	
		कुल आवंटन	239.000	0.100	0.250	0.450	0.000	0.200	0.200	0.150	0.000	0.800	0.100	138.570	
11	लघु सिंचाई प्रमंडल–कोडरमा	पूर्व का आवंटन	134.800	0.000	1.250	0.550	0.320	0.300	0.050	0.000	0.000	1.200	0.100	1.550	
		अतिरिक्त आवंटन	0.500	0.000	0.000	0.300	0.000	0.200	0.000	0.050	0.000	0.500	0.000	140.120	
		कुल आवंटन	135.300	0.000	1.250	0.850	0.320	0.500	0.050	0.050	0.000	1.700	0.100	211.850	
12	लघु सिंचाई प्रमंडल–खूँटी	पूर्व का आवंटन	209.400	0.400	0.250	0.500	0.100	0.150	0.150	0.000	0.000	0.800	0.100	0.900	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.400	0.000	212.750	
		कुल आवंटन	209.400	0.400	0.250	0.800	0.100	0.150	0.150	0.200	0.000	1.200	0.100	142.500	
13	लघु सिचाई प्रमंडल–गढ़वा	पूर्व का आवंटन	140.000	0.000	0.450	0.450	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.900	0.600	0.150	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	142.650	
		कुल आवंटन	140.000	0.000	0.450	0.450	0.000	0.000	0.100	0.150	0.000	0.900	0.600	162.930	
14	लघु सिंचाई प्रमंडल–गिरीडिह	पूर्व का आवंटन	160.000	0.000	0.250	0.250	1.930	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	28.050	
		अतिरिक्त आवंटन	27.600	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.200	0.000	190.980	
		कुल आवंटन	187.600	0.000	0.250	0.400	1.930	0.000	0.000	0.100	0.000	0.700	0.000	302.560	
15	लघु सिंचाई प्रमंडल–गुमला	पूर्व का आवंटन	300.460	0.000	0.250	0.500	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.800	0.200	0.975	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.275	0.000	0.400	0.000	303.535	
		कुल आवंटन	300.460	0.000	0.250	0.800	0.000	0.200	0.150	0.275	0.000	1.200	0.200	221.100	
16	लघु सिचाई प्रमंडल–गोड्डा	पूर्व का आवंटन	220.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	29.372	
		अतिरिक्त आवंटन	27.560	0.000	0.000	0.000	1.262	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.250	250.472	
		कुल आवंटन	247.560	0.000	0.250	0.250	1.262	0.000	0.100	0.300	0.000	0.500	0.250	151.200	
17	लघु सिंचाई प्रमंडल–चतरा	पूर्व का आवंटन	150.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.100	1.350	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.200	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.400	0.200	152.550	
		कुल आवंटन	150.000	0.200	0.500	0.500	0.000	0.000	0.100	0.050	0.000	0.900	0.300	272.613	
18	लघु सिचाई प्रमंडल–चाईबासा	पूर्व का आवंटन	270.440	0.000	0.250	0.400	0.573	0.150	0.000	0.000	0.000	0.800	0.000	0.325	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.325	0.000	0.000	0.000	272.938	
		कुल आवंटन	270.440	0.000	0.250	0.400	0.573	0.150	0.000	0.325	0.000	0.800	0.000		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

243
01/2/22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

01/02/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते		विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन 50S27020200501000101	एल0टी0सी0 50S27020200501000112	देशीय यात्रा व्यय 50S27020200501000213	कार्यालय व्यय 50S27020200501000315	किराया, दर, कर 50S27020200501000316	आपूर्ति एवं सामग्री 50S27020200501000323	दूरभाष 50S27020200501000333	वर्दी 50S27020200501000334	विद्युत व्यय 50S27020200501000337	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 50S27020200501000442	विधि प्रभार 50S27020200501000760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	लघु सिंचाई प्रमंडल–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	405.443	0.000	0.250	0.250	1.200	0.000	0.150	0.000	0.000	1.000	0.000	408.293	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.275	0.000	0.000	0.000	0.275	
		कुल आवंटन	405.443	0.000	0.250	0.250	1.200	0.000	0.150	0.275	0.000	1.000	0.000	408.568	
20	लघु सिचाई प्रमंडल–जामताड़ा	पूर्व का आवंटन	250.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	251.100	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.425	0.000	0.000	0.000	0.425	
		कुल आवंटन	250.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.425	0.000	0.500	0.000	251.525	
21	लघु सिचाई प्रमंडल–दुमका	पूर्व का आवंटन	400.000	0.000	0.250	0.450	1.200	0.150	0.120	0.000	0.000	0.800	0.100	403.070	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500	
		कुल आवंटन	400.000	0.000	0.250	0.450	1.200	0.150	0.120	0.500	0.000	0.800	0.100	403.570	
22	लघु सिचाई प्रमंडल–धनबाद	पूर्व का आवंटन	256.400	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.900	0.300	258.200	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.150	
		कुल आवंटन	256.400	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.150	0.000	0.900	0.300	258.350	
23	लघु सिंचाई प्रमंडल–पाकुड़	पूर्व का आवंटन	180.000	0.000	0.250	0.450	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.900	0.000	181.750	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.500	0.200	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	1.200	
		कुल आवंटन	180.000	0.000	0.750	0.650	0.000	0.150	0.000	0.500	0.000	0.900	0.000	182.950	
24	लघु सिचाई प्रमंडल–बोकारो	पूर्व का आवंटन	255.207	0.000	0.300	0.250	2.140	0.000	0.100	0.000	0.000	0.850	0.100	258.947	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.075	0.000	0.000	0.000	0.075	
		कुल आवंटन	255.207	0.000	0.300	0.250	2.140	0.000	0.100	0.075	0.000	0.850	0.100	259.022	
25	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	180.000	0.000	0.250	0.450	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	0.800	0.400	182.200	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.100	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.350	0.000	0.400	0.000	1.050	
		कुल आवंटन	180.000	0.100	0.250	0.650	0.000	0.150	0.150	0.350	0.000	1.200	0.400	183.250	
26	लघु सिचाई प्रमडल–रामगढ़	पूर्व का आवंटन	350.000	0.000	0.250	0.550	0.000	0.300	0.100	0.000	0.000	1.600	0.150	352.950	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200	
		कुल आवंटन	350.000	0.000	0.250	0.550	0.000	0.300	0.100	0.200	0.000	1.600	0.150	353.150	
27	लघु सिंचाई प्रमंडल–राँची	पूर्व का आवंटन	484.880	0.000	0.650	0.550	1.600	0.250	0.100	0.000	0.000	0.800	0.300	489.130	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.350	0.000	0.300	0.000	0.90000	
		कुल आवंटन	484.880	0.000	0.650	0.80000	1.600	0.250	0.100	0.350	0.000	1.100	0.300	490.030	
28	लघु सिंचाई प्रमंडल–लातेहार	पूर्व का आवंटन	143.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.900	0.300	144.700	
		अतिरिक्त आवंटन	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	8.125	
		कुल आवंटन	151.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.125	0.000	0.900	0.300	152.825	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

243
01/2/22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

01/02/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

राशि लाख रूपये में

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें		विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–		
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	50S27020200501000101	50S27020200501000112	50S27020200501000213	50S27020200501000315	50S27020200501000316	50S27020200501000323	50S27020200501000333	50S27020200501000334	50S27020200501000337	50S27020200501000442	50S27020200501000760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	लघु सिंचाई प्रमंडल–लोहरदग्गा	पूर्व का आवंटन	206.390	0.000	0.250	0.250	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	0.900	0.100	208.090	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.175	0.000	0.000	0.000	0.175	
		कुल आवंटन	206.390	0.000	0.250	0.250	0.100	0.000	0.100	0.175	0.000	0.900	0.100	208.265	
30	लघु सिंचाई प्रमंडल–सरायकेला	पूर्व का आवंटन	250.000	0.000	0.250	0.450	0.470	0.150	0.100	0.000	0.000	0.500	0.100	252.020	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	0.450	
		कुल आवंटन	250.000	0.000	0.250	0.550	0.470	0.150	0.100	0.050	0.000	0.800	0.100	252.470	
31	लघु सिंचाई प्रमंडल–साहेबगंज	पूर्व का आवंटन	250.000	0.000	0.250	0.450	0.500	0.150	0.100	0.000	0.000	0.900	0.300	252.650	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.250	
		कुल आवंटन	250.000	0.000	0.250	0.450	0.500	0.150	0.100	0.250	0.000	0.900	0.300	252.900	
32	लघु सिचाई प्रमंडल–सिमडेगा	पूर्व का आवंटन	165.000	0.000	0.250	0.250	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	0.900	0.200	166.800	
		अतिरिक्त आवंटन	14.200	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.075	0.000	0.300	0.000	14.725	
		कुल आवंटन	179.200	0.000	0.250	0.400	0.100	0.000	0.100	0.075	0.000	1.200	0.200	181.525	
33	लघु सिचाई प्रमंडल–हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	206.000	0.000	0.350	0.250	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.900	0.100	207.850	
		अतिरिक्त आवंटन	42.200	0.000	0.100	0.200	0.000	0.200	0.050	0.250	0.000	0.250	0.100	43.350	
		कुल आवंटन	248.200	0.000	0.450	0.450	0.000	0.350	0.150	0.250	0.000	1.150	0.200	251.200	
34	लघु सिचाई प्रमंडल–हुसैनाबाद	पूर्व का आवंटन	140.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	141.100	
		अतिरिक्त आवंटन	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.250	0.000	10.500	
		कुल आवंटन	150.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.250	0.000	0.750	0.000	151.600	
35	लघु सिंचाई रूपांकण एवं मोनेटरिंग प्रमंडल,दुमका	पूर्व का आवंटन	40.000	0.000	0.250	0.450	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.900	0.000	41.850	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200	
		कुल आवंटन	40.000	0.000	0.250	0.450	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	1.100	0.000	42.050	
36	लघु सिचाई रूपांकण प्रमंडल–दुमका, शिविर देवघर	पूर्व का आवंटन	220.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	221.100	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.150	2.000	0.150	0.000	0.250	0.000	0.500	0.500	3.550	
		कुल आवंटन	220.000	0.000	0.250	0.400	2.000	0.150	0.100	0.250	0.000	1.000	0.500	224.650	
37	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची	पूर्व का आवंटन	220.000	0.000	0.250	0.450	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.900	0.000	221.900	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.040	0.250	0.000	0.600	0.000	1.140	
		कुल आवंटन	220.000	0.000	0.250	0.700	0.000	0.200	0.140	0.250	0.000	1.500	0.000	223.040	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

247
01/02/22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

01/02/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021–2022 कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें वेतन 50S27020200501000101	विस्तृत शीर्ष–01 एल0टी0सी0 50S27020200501000112	विस्तृत शीर्ष–02– देशीय यात्रा व्यय 50S27020200501000213	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय कार्यालय व्यय 50S27020200501000315	किराया, दर, कर 50S27020200501000316	आपूर्ति एवं सामग्री 50S27020200501000323	दूरभाष 50S27020200501000333	वर्दी 50S27020200501000334	विद्युत व्यय 50S27020200501000337	विस्तृत शीर्ष–04– मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 50S27020200501000442	विस्तृत शीर्ष–07– विधि प्रभार 50S27020200501000760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	निदेशक , भूगर्भ जल निदेशालय,राँची	पूर्व का आवंटन	60.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.500	0.000	61.150	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	1.000	0.000	1.375	
		कुल आवंटन	60.000	0.000	0.600	0.250	0.000	0.000	0.150	0.025	0.000	1.500	0.000	62.525	
39	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल–दुमका	पूर्व का आवंटन	60.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	61.000	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.200	0.000	0.350	
		कुल आवंटन	60.000	0.000	0.250	0.350	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.700	0.000	61.350	
40	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल–राँची	पूर्व का आवंटन	151.990	0.000	0.250	1.120	0.000	0.120	0.150	0.000	0.000	1.300	0.000	154.930	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.050	
		कुल आवंटन	151.990	0.000	0.250	1.12000	0.000	0.120	0.150	0.000	0.000	1.300	0.000	154.930	
41	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल–हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	45.000	0.000	0.250	0.250	0.000	u.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	46.000	
		अतिरिक्त आवंटन	10.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	0.400	0.000	10.575	
		कुल आवंटन	55.000	0.000	0.250	0.400	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	0.900	0.000	56.575	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		161.320	0.300	2.020	3.850	3.262	0.750	0.090	6.900	0.000	9.000	1.050	188.542	

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रू० एक करोड़ अठासी लाख चौवन हजार दो सौ मात्र।

नोट :– क्रमांक–(3) में अंकित लघु सिंचाई अंचल, चाईबासा को वेतन मद में आवंटित राशि से W.P.(S) N0-1535/2021 शशिभूषण सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में सूद की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

243
01/02/22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

01/02/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव